Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **इंटेलीजेंस एकेड़मी जयपुर मे एसीबी के अधिकारियों हेतु आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरणों (डी.ए.कैसेज) के अनुसंधान के संबंध में दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित**

- **अतिरिक्त निदेशक सी.बी.आई. श्री डी.सी. जैन रहे मुख्य वक्ता**

जयपुर, *16 फरवरी, गुरूवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय राज0 जयपुर द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज किये जाने प्रकरणों (डी.ए. कैसेज) के अनुसंधान का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अपने अधिकारियों के लिए **दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला** का आयोजन **इंटेलीजेंस एकेड़मी, नेहरू नगर जयपुर** में 16–17 फरवरी 2023 को किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि भ्रष्टाचार के प्रति राजस्थान सरकार की **जीरो टोलरेंस** की नीति के अनुरूप भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध एसीबी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले दर्ज किये जाते है। उक्त प्रकरणों के सृजन एवं अनुसंधान को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.)** के सहयोग से **दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला** का आयोजन **इंटेलीजेंस एकेड़मी, नेहरू नगर जयपुर** में 16–17 फरवरी 2023 को किया जा रहा है। आज उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में सी.बी.आई. नई दिल्ली के **अतिरिक्त निदेशक श्री डी.सी. जैन** उपस्थित आये, जिन्होने अपने व्याख्यान द्वारा कार्यशाला में उपस्थित एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारियों का डी.ए. कैसेज के अनुसंधान के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धन किया। **सी.बी.आई. जयपुर के पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार** द्वारा भी आसूचना संकलन के संबंध में एक सत्र लिया गया। दो–दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा इस बिन्दु के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।